



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032021-225735
CG-DL-E-09032021-225735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 981]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2021/फाल्गुन 18, 1942

No. 981]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2021/PHALGUNA 18, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.आ. 1069(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग तथा 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 की उपधारा(1) की खण्ड(ii) तथा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और सांख्यिकी अनुसंधान के लिए 'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत मै. बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश (पैन:AAAJB1388A) को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग तथा 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 की उपधारा(1) की खण्ड(ii) तथा (iii) के प्रयोजन हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए लागू मानी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 12 /2021/फा. सं. 203/13/2019-आईटीए-II]

रविन्द्र मैनी, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2021

S.O. 1069(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ii) and (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves **M/s Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh (PAN: AAJB1388A)** under the category of ‘**University, College or other institution**’ for Scientific Research and Research in Social Science and Statistical Research for the purposes of clauses (ii) and (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2020-2021 and shall apply with respect to the assessment years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

[Notification No. 12 /2021/ F.No. 203/13/2019/ITA-II]

RAVINDER MAINI, Director

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.